जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 61 प्रभात बीकानेर, मंगलवार 23 सितम्बर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

जीएसटी दरों में कमी होने का श्रेय मोदी सरकार को देना पूर्णतया उचित है

पर, डॉ. केलकर व डॉ. असीम दासगुप्ता, जिन्होंने जीएसटी प्रोग्राम को देश का सबसे सफल कार्यक्रम बनाया, उनकी तारीफ करने से चूकना भारी गलती होगी

- डॉ. विजय केलकर ने यह कल्पना की थी और विज़न दिया था कि देश में एक यूनिफॉर्म टैक्स हो, गुड्स व सर्विस के लिए। उस समय वे केन्द्रीय वित्त सचिव थे। डॉ. असीम दासगुप्ता एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इकॉनमिस्ट तथा कोलकता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अमेरिका में विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद, प.बंगाल के वित्त मंत्री थे तथा उन्होंने पूर्ण रेखा तैयार की, जीएसटी व्यवस्था की तथा भारी भरकम ''बाइबल'' तैयार की, कायदे-कानून की।
- जब मोदी सरकार आई, तब जीएसटी के दूध के दाँत टूटने की प्रक्रिया व प्रारंभिक दिनों की उलझनों को, इन दोनों व्यक्तियों ने काफी हद तक सुलझा लिया था।
- पर, मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई व राजनीतिक निर्णय लिया, जीएसटी को क्रियान्वित करने का और यह प्रोग्राम इतनी सफलता से चला कि अब दिवाली से पूर्व जीएसटी की दरें घटाना भी संभव हो पाया है।
- राजनीतिक निर्णय आसान काम नहीं था। उदाहरण के लिए, गुजरात के मु.मंत्री के रूप में मोदी जी ने इस प्रोग्राम का विरोध किया था, पर, फिर प्र.मंत्री कार्यकाल में उनकी सरकार ने पूर्ण सहयोग व नेतृत्व प्रदान किया, इस प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का, जीएसटी दरों में कटौती से पहले देश के नाम संबोधन, पूरी तरह से एक राजनीतिक कदम था।

जीएसटी परिषद, जो जीएसटी व्यवस्था में अंतिम संशोधन करने के लिए सक्षम निकाय है, द्वारा जीएसटी में सुधार और पुर्नव्यवस्था की गई है। इसकी लागू होने की तारीख भी काउंसिल ने ही तय की है।

सबसे पहले, यह याद रखना ज़रूरी है कि दरों में इस तरह की कमी इसलिए संभव हुई, क्योंकि जीएसटी प्रणाली अब तक बहुत सफल रही है और जीएसटी संग्रह उम्मीद से कहीं अधिक रहा है।

इन घटनाक्रमों के पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति भी है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद, अपेक्षाकृत उच्च विकास दर से आगे बढ़ रही है।

इसमें कोई शक नहीं कि सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी इस कदम के जरिए अपनी जनहितैषी छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह मौजूदा लाभ असल में कई सालों तक अनेक नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों की लंबी मेहनत का नतीजा है।

इस संदर्भ में डॉ. विजय केलकर का नाम ज़रूर लिया जाना चाहिए, जिन्होंने सबसे पहले देशभर में एक समान वस्तु और सेवा कर लागू करने का खाका तैयार किया था। डॉ. केलकर उस समय वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव थे और एक अनुभवी आर्थिक प्रशासक रहे हैं।

इसके बाद, जब अप्रत्यक्ष करों के इतने बड़े ढांचे को बदलने का कठिन काम शुरू हुआ, तो एक राज्य के वित्त मंत्री, जिन्हें पर्दे के पीछे के उनके अथम परिश्रम के लिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, का नाम सामने आता है। ये हैं डॉ. असीम दासगुप्ता। अमेरिका से पढ़ाई करके लौटने के बाद कलकत्ता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

90 करोड़ रूपए की राशि पर जीएसटी चोरी करने वालों की जमानत अर्ज़ी खारिज

जयपुर, 22 सितंबर। आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट, महानगर द्वितीय ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अर्जित की गई 90 करोड़ रुपए की राशि पर जीएसटी चोरी करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। अदालत ने ये आदेश आरोपी मनोज कुमार और जगदीश की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आरोपियों पर कर

- ऑनलाइन गेमिंग के जरिए शेफबिज स्पाइस प्रा.लि. और इनोवा लैंडिंग गेम्स प्रा.लि. ने 90 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त की, पर कोई जीएसटी नहीं दिया।

चोरी का गंभीर आरोप है, जो देश की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने वाला अपराध है। यह वाइट कॉलर क्राइम है और इस स्तर पर उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह पूनिया ने बताया कि डीजीजीआई उदयपुर जोन क्षेत्रीय इकाई की ओर से खुफिया जानकारी से पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग की सेवाओं के जरिए मै. शेफबिज स्पाइस प्रा.लि. और इनोवा लैंडिंग गेम्स प्रा.लि. ने 90 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है, लेकिन उनकी रिटर्न से पता चला कि उन्होंने इस राशि पर कोई जीएसटी नहीं दिया और इस तरह करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की गई है। आरोपियों ने दोनों कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए का लेन-देन कर जीएसटी की चोरी व धोखाधड़ी का अपराध किया है। मामले में अनुसंधान जारी है, इसलिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार के चुनाव में अडानी औद्योगिक घराना अनायास एक बड़ा मुद्दा बन गया है?

अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ भूमि एक रूपया प्रति वर्ष के दाम पर आवंटित की गई है, भागलपुर में एक थर्मल प्लांट लगाने के लिए

- सरकार का कहना है, अडानी ग्रुप 24,000 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट लगाएगा, जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तथा 3,000 लोगों को स्थाई नियुक्ति।
- बिहार के उद्योग मंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा, यह भूमि इसी दर पर बिहार स्टेट पावर जैनरेशन कंपनी को आवंटित की गई तथा कॉरपोरेशन ने पावर प्लांट लगाने के लिए निविदा आमंत्रित की थी तथा ''पारदर्शी'' प्रक्रिया से यह पावर प्लांट लगाने का काम अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया और फिर भूमि भी उन्हें मिली प्लांट लगाने के लिए।
- अडानी ग्रुप की गतिविधियाँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व झारखंड चुनाव में भी मुद्दा थीं। महाराष्ट्र, व छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप के मुद्दे चुनाव के नतीजों को प्रभावित नहीं कर पाये थे। पर, झारखंड में अडानी ग्रुप की गतिविधियों की वजह से भारी राजनीतिक हंगामा सा रहा था।
- बिहार के चुनाव में क्या कुछ ऐसा होगा?

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव एक सियासी थ्रिलर की शक्ल लेता जा रहा है, जिसमें आरोप-प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर वोट चोरी का आरोप, चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर (संस्थापक, जन सुराज पार्टी) द्वारा बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तीन अन्य एनडीए मंत्रियों- मंगल पांडे, अशोक चौधरी और संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, और अब, बिहार कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार के एक निर्णय के खिलाफ राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार सरकार ने भागलपुर के पीरपैंती में अडानी समूह को मात्र 1 रुपया वार्षिक किराए पर 1050 एकड़ जमीन लीज़ पर देने का फैसला किया है। इस ज़मीन पर थर्मल पावर प्लांट बनना है।

इससे पहले भी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के विधानसभा चुनावों के दौरान अडानी समूह का नाम विपक्षी हमलों के निशाने पर रहा था।

हालांकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में विपक्ष द्वारा अडानी ग्रुप पर लगाये गये आरोपों, जो असल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा के खिलाफ थे, का कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन झारखंड में यह मुद्दा अहम बना। अब सवाल यह उठता है: क्या बिहार चुनावों में ''अडानी फैक्टर'' वाकई निर्णायक भूमिका निभाएगा?

अडानी समूह ने भागलपुर के पीरपैंती में लगभग 3 बिलियन डॉलर (करीब 25,000 करोड़) के निवेश से 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई है तथा ग्रुप का कहना है कि इसमें 800-800 मेगावाट की तीन यूनिट्स होंगी तथा 12,000 नौकरियाँ, तथा 3000 स्थायी पद सृजित होंगे।

बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार, यह जमीन पहले बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) को 1 रुपया सालाना लीज़ पर दी गई थी, और बाद में इसे एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के तहत अडानी समूह को स्थानांतरित किया गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एच-1बी वीज़ा पर ट्रंप का आदेश आते ही सैन फ्रैंसिस्को एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

एमिरेट्स फ्लाइट से भारत आ रहे अमेरिकन एनआरआई आनन-फानन में विमान से उतर गए

- शुक्रवार को घटी इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा गया कि भारत जाने के लिए एमिरेट्स की फ्लाइट में बैठे यात्री ट्रंप का वीज़ा शुल्क बढ़ाने का आदेश आते ही उतर गए। उन्हें डर था कि अगर वे चले गए तो शायद अमेरिका लौट ना पाएं।
- इससे फ्लाइट तीन घंटे लेट हो गई। फ्लाइट कैप्टन ने भी घोषणा की, मौजूदा अभूतपूर्व हालात को देखते हुए जो लोग विमान से उतरना चाहें वे उतर सकते हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा एच-वन बी वीज़ा के लिए आवेदन शुल्क एक लाख डॉलर तय करने का आदेश देने के बाद, कई भारतीय यात्री टेकऑफ़ से ठीक पहले एक एमिरेट्स विमान से उतर गए।

यह घटना सैन फ्रांसिस्को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई, जहाँ भारत जा रही एमिरेट्स की एक उड़ान में अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों के उतरने के कारण उड़ान तीन घंटे देरी से रवाना हुई।

एमिरेट्स की उस उड़ान में सवार एक यात्री ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा किए, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लोग घबराहट में विमान से उतर रहे हैं, उन्हें डर था कि वे अमेरिका वापस नहीं लौट पाएंगे। एक वीडियो में यात्री गलियारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त हैं, और कई लोग हतप्रभ होकर यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उड़ान रवाना होगी या नहीं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाक वायुसेना ने अपना ही गांव तबाह किया

नयी दिल्ली, 22 सितंबर। पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही देश के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गांव में भारी बमबारी की। अचानक हुए इस

- पाक वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गांव पर भारी बमबारी की जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए व सैकड़ों घायल हो गए।

हमले में तिराह घाटी का मत्रे दारा गांव तबाह हो गया, हमले में कम से कम 30 लोग मारे गये और सैकड़ों अन्य घायल हो गये। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

यह हमला 21 सितंबर की रात को किया गया और कई स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने अपने चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों से गांव पर कम से कम आठ एलएस -6

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत से दो बार हार कर भी एशिया कप फाइनल में पहुँच सकता है पाकिस्तान

रविवार को भारत से दूसरी बार हारने से पाकिस्तान को झटका तो लगा, पर उम्मीदें अभी मरी नहीं हैं

- एशिया कप सुपर 4 फॉर्मेट पर आयोजित किया जा रहा है। इसलिए अभी भी पाकिस्तान के पास मौका है।
- पाकिस्तान को मंगलवार को श्रीलंका और गुरुवार को बाँग्लादेश को हराना होगा, अगर वह इसमें सफल होता है तो फाइनल में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेलना होगा।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला हो सकता है, अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं। तो आइए समझते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है।

सुपर-4 चरण में रविवार को भारत के खिलाफ 6 विकेट की हार ने पाकिस्तान की फायनल के लिये क्वालिफाइ करने की उम्मीदों को झटका दिया है। लेकिन यह हार पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर नहीं करती, क्योंकि यह नॉकआउट मुकाबला नहीं था, बल्कि राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया सुपर-4 मुकाबला था।

जहाँ, भारत ने इस जीत के साथ फाइनल की ओर एक मज़बूत कदम बढ़ा दिया है, वहीं, सलमान आगा की अगुवाई में पाकिस्तान को बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे, ताकि वे टूर्नामेन्ट में सूर्यकुमार यादव की टीम से तीसरी बार भिड़ सकें।

पाकिस्तान का अगला सुपर- 4 मैच मंगलवार को श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने ग्रुप-बी में सभी तीन मैच (बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग) जीतकर टॉप किया था, लेकिन सुपर-4 का पहला मुकाबला वे शनिवार को बांग्लादेश से हार चुके हैं।

पाकिस्तान को हर हालत में श्रीलंका को हराना होगा। अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हारता है, तो टूर्नामेंट से उसका बाहर होना तय माना जा सकता है।

अगर पाकिस्तान, श्रीलंका को हरा देता है, तो उसका अगला मुकाबला गुरुवार को बांग्लादेश से होगा। अगर पाकिस्तान यह मैच भी जीतता है, तो उनकी फाइनल की राह लगभग तय हो जाएगी। एशिया कप फायनल रविवार को होगा। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अभी श्रीलंका और बांग्लादेश भी फायनल की दौड़ से बाहर नहीं हुये हैं। जहाँ बांग्लादेश ने पहले ही एक जीत दर्ज कर ली है, वहीं, श्रीलंका की टीम भी किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखती है।

हालाँकि भारत ने सुपर-4 में पाकिस्तान को हराकर शानदार शुरुआत की है, लेकिन फाइनल में उसकी जगह अभी पक्की नहीं हुई है।

भारत को दो और मैच खेलने हैं, बुधवार को बांग्लादेश से, तथा शुक्रवार को श्रीलंका से। भारत को फायनल में पहुंचने के लिये, इनमें से कम से कम एक मैच और जीतना होगा। लेकिन सूर्यकुमार यादव की टीम अपने शत प्रतिशत जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी और सुपर 4 के शेष दोनों मुकाबले जीतने की कोशिश करेगी।

चीन ने ''के वीज़ा'' शुरु किया

बीजिंग, 22 सितंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एच-1बी वीज़ा पर भारी भरकम फीस लगाने के बाद पूरी दुनिया में अफरा-तफरी का माहौल है। ट्रंप के फैसले से खासकर भारत को तगड़ा झटका लगा है। मगर, जहां एक तरफ अमेरिका विदेशी

- ट्रंप के एच-वन बी वीज़ा का शुल्क बढ़ाने के आदेश के बाद चीन ने ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने के लिए वीज़ा की नई कैटेगरी शुरु की है।

कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ने ग्लोबल टैलेंट्स के लिए दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अब समय आ गया है कि मानहानि को अपराध की कैटगरी से बाहर कर दिया जाए' - सुप्रीम कोर्ट

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए कहा कि भारत ही उन चन्द लोकतांत्रिक देशों में एक है, जहाँ मानहानि को ''क्रिमिनल ऑफैंस'' माना जाता है

- भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि को अपराधिक कृत्य माना गया है। यह धारा आईपीसी की धारा 499 की जगह आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में धारा 499 की वैधता को कायम रखा था, तब सुब्रमण्यम स्वामी, केजरीवाल व राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इसकी वैधता को चुनौती दी थी।
- द वायर में छपे एक आलेख पर जेएनयू की एक पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इस केस पर एक मजिस्ट्रेट ने वायर को सम्मन भेजा था जिसके खिलाफ वायर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट में समाचार संगठन द वायर के खिलाफ लंबित मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अब मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का समय आ गया है।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा द वायर के खिलाफ दायर मानहानि मामले में जारी समन को चुनौती दी गई थी।

न्यायालय ने ''द वायर'' का संचालन करने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म द्वारा दायर याचिका पर प्रोफेसर अमिता सिंह को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने टिप्पणी की, ''मुझे लगता है अब समय आ गया है कि इसे अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए।'' वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो समाचार पोर्टल की ओर से पेश हुए, ने न्यायालय की इस टिप्पणी से सहमति जताई।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत अब मानहानि एक आपराधिक अपराध है। यह धारा पहले की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 की जगह लाई गई है।

भारत उन कुछ लोकतांत्रिक देशों में से एक है जहाँ मानहानि एक आपराधिक अपराध है, जबकि अधिकांश देशों में इसके लिए केवल दीवानी उपाय उपलब्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में आइपीसी की धारा 499 की वैधता को बरकरार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस

नयी दिल्ली, 22 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में 2020 हुए दंगों के आरोपियों में शामिल

- सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में कथित आरोपी, शरजील इमाम, उमर खालिद व अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते समय ये नोटिस जारी किए हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्रों शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की ज़मानत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)